

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

कुधारा

कुमरदास

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

मकदमा नं.- 227/2017

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुये।

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज

14.9.17

यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध अधीन
धारा 53, 88 राजस्थान कारस्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया
है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब
किया जावे। पत्रावली दिनांक 23-10-2017 को पेश हो।

पक्षकार/पक्षकारान के अभिवक्ता

27.10.17

पीटासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण
अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 27.10.17...को
प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अभिवक्ता

27.10.17

पीटासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण
अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 6.11.17...को
प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अभिवक्ता

6.11.17

पीटासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण
अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 13.11.17...को
प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अभिवक्ता

13.11.17

पीटासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण
अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 27.12.17...को
प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अभिवक्ता

27.12.17

पीटासीन अधिकारी की मिति में/भ्रमण
अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 01.01.18...को
प्रस्तुत करें।

पञ्चायत/पञ्चायतन के अधिकार

१६-३-१०

पीठासीन अधिकारी की मितिग वे/प्रमाण
अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक १६-५-१६ को
प्रस्तुत करें।

Note
पर
अमेक
18/6/18

18-06-18

पञ्चायती न्याय आप के शाह शिविद
में भयत सेवा केन्द्र शंगला में पेरा
हुरी वकील वादी ने नोट प्रेष कट
निवेदन दिया कि वादीगण वाड
को चलाना नहीं चाहते हैं यदि
विद्रोस खादीज किया जावे/वकील
वादी के द्वारा नोट प्रेष करने के
कारण वादी का वाड यदि विद्रोस
खादीज किया जाता है पञ्चायती
फैसल हुआ होकर नम्बर से कम
होकर इफ्तार दायिम हो।